[redacted]

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या: 2801 /चौबीस–पी–3–2022
लखनऊ : दिनांक 17 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर 2022

अधिसूचना

कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के परिसरों में अप्रयोज्य भूमि उपलब्धता एवं वाणिज्यिक नियम तथा शर्तों के आधार पर अथवा उनके संनिकट कराने, उनकी पूर्ति/उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2– इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा भी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार बायोकोल क्रय किया जाय।

3– उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत–प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

[redacted] [redacted]

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2 -निदेशक, उ0प्र0, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखंड, गोमतीनगर लखनऊ।
3- सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि0 (केस्को), कानपुर।
6- कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
7- औद्योगिक विकास अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनुभाग-6/लघु उद्योग अनुभाग-4/लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक (आई0एफ0जी0आर0), उद्योग बन्धु, 12-सी माल एवेन्यू, लखनऊ।

21/10/22

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

mycomputer/drive/mm/allUO